



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 1992/कार्तिक 20, 1914
No. 713] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 1992/KARTIKA 20, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जलभूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1992

का.आ. 827 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988
का 59) की धारा 41 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत

2 77: GI/92

(1)

के राजपत्र, असाधारण, अंक, भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 444 (अ) तारीख 12 जून, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के पश्चात् परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“परन्तु यह कि अक्षर अंग्रेजी में और अंक अरबी संख्या में होंगे।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती कि यदि यान का स्वामी ऐसी बांछ करता है तो संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी अन्य विनिर्दिष्ट भारतीय भाषा में भी अक्षर और अंक प्रदर्शित करते हुए एक अतिरिक्त प्लेट मोटर यान पर प्रदर्शित की जा सकती।

परन्तु यह भी कि सभी मामलों में अक्षर और अंक परावर्तित रंग में पेंट किए जाएंगे और,

- (क) भाड़े पर कैब स्कीम, 1989 के अधीन आने वाले यानों से भिन्न परिवहन यानों की दशा में सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग में;
- (ख) अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रीकृत मोटर यानों की दशा में पीली पृष्ठभूमि पर लाल रंग में
- (ग) व्यवहारियों के कब्जाधीन मोटर यानों की दशा लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में;
- (घ) अन्य दशाओं में काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में;
- (ङ) भाड़े पर कैब स्कीम, 1989 के अधीन किसी परिवहन यान की दशा में काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग में

दर्शित किए जाएंगे।

[फा.सं. आर टी-11044/9/90-एनकीएल]
जी.के. पिल्ले, संयुक्त सचिव-

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 1992

S.O. 827(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification No. S. O. 444(E),

dated the 12th June, 1989 published in Part II. Section 3, sub-section (ii) of the Extraordinary Issue of the Gazette of India.

For the proviso after para 2 in the said notification, the following shall be substituted, namely :—

“Provided that the letters shall be in English and the figures shall be in Arabic numerals.

Provided further that the State Government may direct by notification that an additional plate displaying the letters and figures in any other specified Indian language out of those mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution, may also be displayed on the motor vehicle, if so desired by the owner of the vehicle.

Provided also that in all cases the letters and figures shall be painted in reflecting colours and shall be shown,

- (a) in the case of transport vehicles other than those under the Rent a Cab Scheme, 1989, in black on a white ground;
- (b) in the case of motor vehicles temporarily registered, in red on a yellow ground;
- (c) in the case of motor vehicles in the possession of dealers, in white on a red ground;
- (d) in other cases, in white on a black ground;
- (e) in the case of a transport vehicle under Rent a Cab Scheme, 1989, in yellow on a black ground.”

[F. No. RT-11044/9/90-MVL]

G. K. PILLAI, Jr. Secy.